

6/2/2020

जिला कलक्टर, अजमेर

उक्त पत्र अभिमापक उपरिष्ठ। अपीलान्त
स्वयं उक्त अपीलान्त/अभि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना-
पत्र कते मुकदमा नही चलाने कावत पेश कर
मुख्यतः निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील चलने योग्य
नही होने से अपीलान्त इसे आगे नही चलाना चाहता
है। अतः अपील अपीलान्त इसी स्तर पर स्वारिज प्रमाई
आवे। सहमति स्वयं अपीलान्त पुरुषोत्तम पाराशर द्वारा
आदिशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये गये जिनकी पहचान
उक्त अभिमापक की रोडमल द्वारा की गई।

आवे अपीलान्त द्वारा स्वयं अपील के चलने
योग्य नही मानते इस आगे नही चलाकर इसी स्तर पर
अपील के स्वारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।
लिहाजा प्रस्तुत किसे प्रार्थना पत्र (पत्र) स्वीकार किया
जाकर अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर इसी प्रकार से
स्वारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो पर नम्बर
से कम है।

र

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर

पुष्पा
6-2-2020

Identified by
Rohma